संख्या- 509/2026/1258/2026/27-2002/311/2026-2

प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 **लखनऊ :: दिनांक 23 जुलाई, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत जनपद गोण्डा एवं बहराइच में टढी नदी के दोनो किनारे पर किमी0 0.000 से किमी0 236.580 तक बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण के लिए आर0सी0सी0 पिलर के निर्माण की परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, अनु0 एवं नियो0 (बाढ़), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक-1134/काप्रअ/अनिबामं/यू-10/बी-1प्र, दिनांक 09.06.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर निम्नलिखित विवरण की राज्य पोषित मद में एक अदद् नई परियोजना की कुल लागत रूपये 4,19,18,000.00 (रूपये चार करोड़ उन्नीस लाख अठरह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-09-कटाव निरोधक योजनाएँ-84-नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यो की परियोजनाएँ (रा0से0)-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत बजट व्यवस्था (नई श्रेणी) की धनराशि में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रूपये 2,00,00,000.00 (रूपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि को अवमुक्त करते हुये प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	स्था0 संचा0 सं0 /जी0एफ0सी0 सी0/भारत सरकार/नाबर्ड की स्वीकृति का संदर्भ	परियोजना की लागत	31.03.26 तक नेट आवंटन/ व्यय	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2026-27	वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटन	कुल आवंटन	परि0 पर लागत के सापेक्ष अवशेष	स्वीकृत धनराशि (नई से)	सम्बन्धित संगठन/ मण्डल/ खण्ड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94-4711-01-103-09-84-24 नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यो की परियोजनाएँ (राज्य पोषित)										
1	जनपद गोण्डा एवं बहराइच में टढी नदी के दोनो किनारे पर किमी0 0.000 से किमी0 236.580 तक बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण के लिए आर0सी0सी0 पिलर के निर्माण की परियोजना।	60वीं बैठक दिनांकः 12.12.2025 के क्रम सं0-4	419.18	0.00	336.00	0.00	0.00	419.18	200.00	मु0अभि0 (सरयू परि0 प्रथम) अयोध्या/ पंचदशम् मण्डल सिंचाई कार्य, गोण्डा/ सरयू ड्रेनेज खण्ड प्रथम, गोण्डा

(रूपये दो करोड़ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों

3- **उक्त धनराशि का व्यय करने में निम्नांकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:-**

(1) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जाएगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाए।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्य पर ही किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई/सम्बन्धित अधिकारियों का होगा।

(4) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। व्यय करने से पूर्व कार्य के विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(5) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जिन परियोजनाओं की स्वीकृति शासन स्तर से अपेक्षित है उनकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शासन के सम्बन्धित अनुभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराए। इन परियोजनाओं पर किसी अन्य मद से यदि धनराशि प्राप्त हुई हो तो उसका समायोजन कर लिया जाएगा तथा स्वीकृत की गई धनराशि का व्यय अनुमोदित मदों पर ही किया जाएगा।

(6) निर्माण कार्यो पर व्यय करने के पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का व्यय सम्बन्धित परियोजना की अनुमोदित लागत तक ही सीमित रखा जायेगा, अनुमोदित लागत के ऊपर धनराशि का व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति अनिवार्यत: प्राप्त की जाएगी।

(7) अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समकक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(8) वित्त विभाग के सी0सी0एल0 संबंधी आदेशों को संज्ञान में लेते हुए अवमुक्त धनराशि के व्यय का माहवार कार्यक्रम निर्धारित कर लिया जाए, जिसमें यथा सम्भव समानुपातिक आधार पर व्यय की व्यवस्था हो। तद्नुसार व्यय सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी अनुश्रवण किया जाए। परियोजनाओं की लागत में टाईम ओवर रन/कास्टओवर रन विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(9) बी0एम0 प्रपत्र-8 पर नियमित रूप से व्यय विवरण की सूचना शासन में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 व सिंचाई अनुभाग-2 को प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाए।

(10) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाए। इसलिए नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े, तो उसे तत्काल शासन/वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाए।

(11) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

(12) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर फेजिंग के अनुसार समानुपातिक किश्तों में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जाएगा तथा आहरित धनराशि बैंक/पीएलए/डाकघर/डिपाजिट खाते में न रखी जाए।

(13) उक्त धनराशि का व्यय, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 25.01.2011 तथा श्रम अनु0-2 के शासनादेश सं0-1666/36-2-2010, दि0 05.12.2010 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं शर्तो के अन्तर्गत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय को आगणन में सम्मिलित करते हुए इस धनराशि को जोड़कर संबंधित लेखाशीर्षकों में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(14) कार्य की विशिष्टियॉ मानक/गुणवत्ता तथा मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व/जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई तथा सम्बन्धित अधिकारियों की होगी। प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लिकेसी) रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रमुख अभियन्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा हो।

(15) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा समक्ष स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(16) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(17) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(19) विभागीय तकनीकी समिति की बैठक में लगायी गयी शर्तों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा ।

(20) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाएगा।

(21) यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(22) प्रमुख अभियन्ता सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को धनराशि आवंटित करेंगे। किसी भी दशा में अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता द्वारा धनराशि आवंटित नहीं की जाएगी।

(23) प्रमुख अभियन्ता आवंटित धनराशि की सूचना 10 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराएंगे।

(24) प्रमुख अभियन्ता द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(25) प्रमुख अभियन्ता द्वारा भविष्य में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि अध्याप्ति हेतु अनुमोदित लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी।

(26) प्रमुख अभियन्ता एवं सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह परियोजना का बार चार्ट तथा पाई चार्ट तैयार कराएंगे तथा व्यय की जाने वाली धनराशि का माहवार चार्ट बनाकर विवरण सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(27) प्रमुख अभियन्ता एवं सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(28) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिए गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(29) परियोजनाओं के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की स्थायी संचालन समिति की 60वीं बैठक दिनांक 12.12.2025 के कार्यवृत्त में दिये गये समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

4 - इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,000.00 (रूपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4711011030984 नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाओं हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(रमा कान्त वर्मा)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(3) प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0),सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(4) सम्बन्धित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(6) नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) मुख्य अभियंता, अनु0 एवं नियो0(बाढ़) , सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(8) मुख्य अभियंता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(9) सम्बन्धित मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
(10) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(11) अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
(12) वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-8
(13) सिंचाई अनुभाग-9/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।